

5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या 41/2022 दायर दिनांक 15.03.2022

सनवान

1. बापूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिड़ावा

- वादी

बनाम

1. गोस्धनलाल पुत्र कारूलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिड़ावा
2. छीतरलाल पुत्र कारूलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिड़ावा
3. श्यामलाल पुत्र कारूलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिड़ावा
4. हजारीलाल पुत्र कारूलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिड़ावा
5. देवीलाल पुत्र मांगीलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिड़ावा
6. सरदारबाई पत्नि मांगीलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिड़ावा
7. मांगीलाल पुत्र रामप्रताप जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिड़ावा
8. सीताराम पुत्र बाला जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिड़ावा
9. सहायक अभियन्ता गागरीन सिचाई परियोजना पिड़ावा जिला झालावाड़
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण-

अभिभाषक वादी - श्री नीलकमल त्रिवेदी

प्रतिवादी सं. 1 से 8 - एकतरफा

प्रतिवादी सं. 9 - सहायक अभियन्ता

प्रतिवादी सं. 10 - परोकार सरकार



निर्णय

दिनांक 05/12/2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट में ग्राम गर्दनखेड़ी के खाता सं. 287 की आराजी ख.न. 51 रकबा 1.2014 हैक्टेयर के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.07.2025



उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार पिडावा द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2025/789 दिनांक 04.11.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी की सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम गरदनखेड़ी के खाता सं. 287 की आराजी ख.न. 51 रकबा 1.2014 हैक्टेयर भूमि के संबंध में तहसीलदार पिडावा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	बापूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी रहन SBI पिडावा	1312/51/1	0.0790	माल प्रथम
2	गीताबाई पत्नि मांगीलाल हि. 4/11 रहन BRKGB पिडावा	1310/51	0.8220	माल प्रथम
	गोधनलाल पुत्र कारूलाल हि. 1/22	1312/51/2	0.0475	माल प्रथम
	छीतरलाल पुत्र कारूलाल हि. 1/22			
	श्यामलाल पुत्र कारूलाल हि. 1/22			
	हजारीलाल पुत्र कारूलाल हि. 1/22 रहन Axis झालावाड			
	देवीलाल पुत्र मांगीलाल हि. 1/22 रहन CBI दांता			
	सरदारबाई पत्नि मांगीलाल हि. 1/22 रहन CBI दांता			
	मांगीलाल पुत्र रामप्रताप हि. 4/33			
	सीताराम पुत्र बाला हि. 8/33			
	जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी			
		किता 2	0.8695	




 उपखण्ड अधिकारी
 पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड राज०
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

9

फाईनल डिक््री मुकदमा इन्तवाई
(ओ० २० रुल ७ जास्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या ४१/२०२२

दायर दिनांक १५.०३.२०२२

उनवान

१. बापूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिडावा

- वादी

बनाम

१. गोरधनलाल पुत्र कारूलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिडावा
२. छीतरलाल पुत्र कारूलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिडावा
३. श्यामलाल पुत्र कारूलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिडावा
४. हजारीलाल पुत्र कारूलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिडावा
५. देवीलाल पुत्र मांगीलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिडावा
६. सरदारबाई पत्नि मांगीलाल जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिडावा
७. मांगीलाल पुत्र रामप्रताप जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिडावा
८. सीताराम पुत्र बाला जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी तहसील पिडावा
९. सहायक अभियन्ता गांगरीन सिचाई परियोजना पिडावा जिला झालावाड़
१०. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा ५३, २०९ रा.टी.एक्ट एवं धारा १३६ एल.आर.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक-

अभिभाषक वादी - श्री नीलकमल त्रिवेदी

प्रतिवादी सं. १ से ८ - एकतरफा

प्रतिवादी सं. ९ - सहायक अभियन्ता

प्रतिवादी सं. १० - परोकार सरकार



मिनजानित मुदई रुबरूX.....मिनजाबिन मुदालयह हुकम

दिया जाता है व डिक््री दी जाती है कि -

इस न्यायालय के निर्णय व डिक््री दिनांक २२.०७.२०२५ अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम गरदनखेड़ी के खाता सं. २८७ की आराजी ख.न. ५१ रकबा १.२०१४ हैक्टयर भूमि के संबंध में तहसीलदार पिडावा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)



क्र.	सातोदार का नाम	खतः	रकबा है.	किस्म
1	बापूलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी रहन SBI पिडावा	1312/51/1	0.0790	माल प्रथम
2	गीताबाई पत्नि मांगीलाल हि. 4/11 रहन BRKGB पिडावा	1310/51	0.8220	माल प्रथम
	गोरधनलाल पुत्र कारुलाल हि. 1/22	1312/51/2	0.0475	माल प्रथम
	छीतरलाल पुत्र कारुलाल हि. 1/22			
	श्यामलाल पुत्र कारुलाल हि. 1/22			
	इजारीलाल पुत्र कारुलाल हि. 1/22 रहन Axis झालावाड			
	देवीलाल पुत्र मांगीलाल हि. 1/22 रहन CBI दांता			
	सरदारबाई पत्नि मांगीलाल हि. 1/22 रहन CBI दांता			
	मांगीलाल पुत्र रामप्रताप हि. 4/33			
	सीताराम पुत्र बाला हि. 8/33			
	जाति दांगी नि. गर्दनखेड़ी			
		किता 2	0.8695	

तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेक हतुड मीधकारी रस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड राज०।

निजX.....मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 05/12/2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड राज०।

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमि नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमि नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	



उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड राज०।